

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक:शिविरा-माध्य/मा-स/22251/2019-20

दिनांक:-24.01.2020

परिपत्र

विद्यालयों में सह-शैक्षिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत प्रार्थना सभा का कार्यक्रम भी सम्मिलित है, जिसके लिए 25 मिनट का समय निर्धारित है। विद्यार्थियों को भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित मूल्यों से परिचित कराने एवं भारतीय संविधान के संबंध में जागरूकता को प्रोत्साहन के लिए आगामी गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) से राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में संलग्न प्रेषित "भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना)" के मूल पाठ का वाचन करवाया जावे।

संलग्न:-यथोपरि।


24/01
(हिमांशु गुप्ता)


IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक:-24.01.2020

क्रमांक:शिविरा-माध्य/मा-स/22251/2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
- 6 निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
- 7 निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
- 8 समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 9 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
- 10 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक।
- 12 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
- 13 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
- 14 प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
- 15 प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
- 16 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- 17 रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।